न्यायालय डिविजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 10/2020

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
किरण पुत्री धनुदेवी जाति सगरवंशी माली निवासी तहसील व जिला सिरोही		राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही, जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिरोही दिनांक 27.01.2020 राजस्व अपील संख्या 19/2019 अनवान श्रीमती बनाम राज0 राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित–

1. श्री सुगनमल परिहार, वकील अपीलाण्ट
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता राज्य पक्ष की ओर से

निर्णय

दिनांक 24.01.2023

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलाण्ट ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा राजस्व अपील संख्या 19/2019 श्रीमती धनुदेवी बनाम राज0 राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही में पारित आदेश दिनांक 27.01.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सिरोही के प्रकरण संख्या 59/2019 में अपीलांट को ग्राम सिरोही के खसरा नम्बर 3384 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, किस्म गैर मुमकिन कातरा की भूमि का पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिनांक 26.09.2019 को पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिरोही के समक्ष दर्ज प्रथम राजस्व अपील संख्या 19/2019 में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2020 के द्वारा प्रस्तुत अपील खारीज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान यह निवेदन किया गया कि अति0 जिला कलेक्टर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, क्योंकि तहसीलदार सिरोही द्वारा इस मामले में की गई तमाम कार्यवाही एवं पारित आदेश हाईहैण्डेड एक्शन की श्रेणी में आता है। यहां तक कि अपीलांट को शहादत एवं सबूत पेश करने एवं सुनवाई का अवसर ही नही दिया गया। न्यायालय तहसीलदार सिरोही में अन्तर्गत धारा 91 आरएलआर के तहत दर्ज प्रकरण में दिनांक 20.9.19 को आगामी पेशी दिनांक 3.10.19 बतायी गई, किंतु इससे पूर्व ही दिनांक 26.9.19 को निर्णय पारित कर दिया गया। जिसमें सिविल कारावास जैसे कठोर आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट–अप्रार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था।

न्यायालय तहसीलदार सिरोही में अपीलांट के विरूद्ध पूर्व में भी धारा 91 आरएलआर के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें दिनांक 10.02.2009 को तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सिरोही में दर्ज राजस्व अपील सं0 33/2009 में पारित निर्णय दिनांक 14.9.11 के द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण संपूर्ण जांच एवं सुनवाई के पश्चात तहसीलदार को उचित आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। उक्त रिमाण्ड प्रकरण में तहसीलदार द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नही की गई है। इस प्रकार इस मामले में अपर जिला कलेक्टर का आदेश अंतिम हो चुका है।

यह कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 3384 आबादी भूमि है, जिसका विधिवत पट्टा नगर पालिका सिरोही द्वारा पूर्ण भूमि रूपांतरण शुल्क राशि वसूल करते हुए अपीलांट के नाम दिनांक 10.07.2015 को जारी किया गया एवं बेचाननामें का पंजीयन करवाया गया है। उक्त भूमि पर अपीलांट का रहवासीय मकान पिछले 40 वर्ष से बना हुआ है, जिसमें बिजली व पानी की सुविधाएं प्राप्त की हुई है। इसी आधार पर नगर पालिका सिरोही ने अपीलांट के पक्ष में पट्टा जारी किया था। इस

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

प्रकार आबादी भूमि के संबंध में धारा 91 आरएलआर के तहत कोई कार्यवाही की ही नही जा सकती है।

इसके अलावा इस मामले में पश्चातवर्ती अतिक्रमण का कोई मामला बनता ही नही है, क्योकि अपीलांट को पूर्व में कभी भी बेदखल नही किया गया है। तहसीलदार ने बेदखली आदेश जो दिनांक 10.02.2009 को पारित किया था, वह अपर जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा राजस्व अपील सं0 33/2009 में पारित निर्णय दिनांक 14.9.2011 को निरस्त कर दिया गया था, जो निर्णय अंतिम हो चुका था। इस प्रकार कोई बेदखली का प्रश्न ही पैदा नही होता है। स्वयं पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार भी अपीलांट के विरूद्ध पश्चातवर्ती का कोई मामला नही बनता है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ पूर्व की बेदखली बाबत कोई फर्द पेश नही की गई थी एवं न ही पटवारी के बयान लिए गये है, इससे तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को साबित होना नही माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार की पत्रावली का अवलोकन नही किया और न ही आरएलआर की धारा 91(3) के प्रावधानों पर मनन किया गया। क्योंकि उक्त पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को पढ़ने पर भी अपीलांट के विरूद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण का कोई मामला नही बनता है।

वकील अपीलांट द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि अपीलार्थीया–धनुदेवी एक वृद्ध बेवा थी, जिसने नगर पालिका सिरोही में भूमि रूपांतरण/नियमन शुल्क राशि 13,11,162/–रूपये जमा करवाकर वादग्रस्त भूमि का पट्टा प्राप्त किया है। वादग्रस्त भूमि के आस–पास बहुत से लोगों के मकानात बने हुए है एवं अन्य जन उपयोगी निर्माण किए हुए है। इस प्रकार उक्त खसरान की भूमि पूर्ण रूप से आवासीय प्रयोजनार्थ काम में ली जा रही है। इससे तहसीलदार को धारा 91 के तहत कार्यवाही करने का कोई अधिकार नही था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अति0 जिला कलेक्टर सिरोही का अपीलाधीन आदेश 27.01.2020 एवं तहसीलदार सिरोही का आदेश दिनांक 26.09.2019 निरस्त करते हुए, अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 आरएलआर एक्ट के तहत कार्यवाही समाप्त करने का निवेदन किया गया।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

जवाब में रेस्पो0 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा पारित निर्णय का समर्थन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार यह पाया जाता है कि :–

1. तहसीलदार सिरोही द्वारा राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज प्रकरण संख्या 59/2019 अनवान सरकार बनाम श्रीमती धनुदेवी पत्नी ओटाजी में रिपोर्ट पटवारी के अनुसार ग्राम सिरोही–ा के खसरा नम्बर 3384 कुल रकबा 1.16 हैक्टेयर, किस्म गै0मु0 कातरा, में रकबा 0.2000 हैक्टेयर राजकीय बिलानाम भूमि पर संवत् 2076 में अवैध रूप से कब्जा मय बाडा बनाकर अतिक्रमण के विरूद्ध दिनांक 26.09.2019 को पारित निर्णय अनुसार अपीलांट–गैरसायल को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने, जुर्माना वसूल करने तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिए 3 माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सिरोही में दर्ज राजस्व अपील संख्या 19/2019 में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2020 द्वारा उक्त अपील खारीज कर दी गई।
2. जिला कलेक्टर सिरोही के आदेश क्रमांकः प.12(3)(31)राज/2016/2434–38 दिनांक 07.07.2021 के द्वारा मौजा सिरोही के पटवार मण्डल सिरोही–ा एवं सिरोही–ाा के कुल खसरा किता. 190 कुल रकबा 84.4600 हैक्टेयर भूमि नगर परिषद सिरोही को हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त आदेश के क्रम संख्या 110 पर खसरा नम्बर 3384 कुल रकबा 1.1600 हैक्टेयर, गै0मु0 कातरा अंकित है। इस प्रकार उक्त भूमि वर्तमान में नगर परिषद सिरोही के स्वामित्व में निहित है।
3. नगर परिषद सिरोही द्वारा श्रीमती धनुदेवी पत्नी ओटाराम के नाम ''केवल आवासीय प्रयोजनार्थ'' आवंटन/नियमितिकरण 16(1) पंजीबद्ध पट्टा विलेख, विक्रय पत्र संख्या 19 (पट्टा नियमन सन् 2015–16) दिनांक 10.07.2015, राजस्व

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

ग्राम सिरोही–ा के खसरा नम्बर 3384 में से 23328.50 वर्गफीट का एकल पट्टा नियमन एवं लीज राशि 13,11,162/– रूपये प्राप्त कर निष्पादित किया गया है। जिससे तहसीलदार सिरोही द्वारा अपीलांट के विरूद्ध राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज प्रकरण संख्या 59/2019 व उसमें पारित निर्णय दिनांक 26.09.2019 वर्तमान में स्वतः ही प्रभावहीन साबित है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा राजस्व अपील सं0 19/2019 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2020 एवं तहसीलदार सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 59/2019 में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2019 औचित्यपूर्ण नही होने से निरस्त किये जाते है।

4. इसके अलावा अपीलांट द्वारा यह तथ्य प्रकट किया कि उक्त भूमि वर्ष 1964 में उसके पिता स्व0 ओटाराम की कब्जाकाश्त थी। जिनके आवेदन पर तहसीलदार सिरोही द्वारा दिनांक 31.1.64 को नियमन कर उनके खातेदारी में दर्ज की गई थी, अतः तहसीलदार सिरोही पुनः जांच करे कि क्या उक्त भूमि किसी अवाप्ति में थी ? **यदि अवाप्ति मे थी, तो क्या इसका मुआवजा दिया गया है या नही ? क्या** पट्टे की भूमि को अवाप्त किया गया या मुआवजा दिया गया ? पुनः जांच कर तय करे कि अपीलार्थी अतिक्रमी था या नही ?

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा राजस्व अपील सं0 19/2019 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2020 एवं तहसीलदार सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 59/2019 में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2019 निरस्त किये जाते है। साथ ही तहसीलदार सिरोही को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त आब्जर्वेशन–बिन्दु सं0 4 की पुनः जांच करे।

निर्णय आज दिनांक 24 जनवरी, 2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

24/1/23

(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर